(91)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र. केम्प इन्दौर

R/210/PB/2017

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विनोद ठाकुर
पक्षी / अभिभावक द्वारा दिनांक 27-03-17 प्रस्तुत।
194
27-03-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

निगरानी प्रकरण क्रं.–

श्रवण तिथि :–

1. नसीमाबाई पति अजगर अली निवासी मोहल्ला दाउदपुरा, शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.

———अपीलार्थी / आवेदक

विरूद्ध

1. शिरीनबाई पति मोहसीनअली निवासी मोहल्ला दाउदपुरा शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
2. यासमीन पति अब्बास पुत्री गुलाम हुसैन, निवासी खामगांव महाराष्ट्र, हाल निवास दाउदपुरा शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.

——— प्रतिअपीलार्थीगण / अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

अपीलार्थी / आवेदक निवेदन करती है :–

1. यह कि अपीलार्थी / आवेदिका यह अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखंड, बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के न्यायालय के राजस्व अपील प्रकरण क्रं. 68–अ / 6 सन् 2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2017 से दुःखित एवं पीडित होकर निम्नलिखित आधारों पर या उनमें से किन्ही पर प्रस्तुत करती है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1210-पीबीआर/19 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-11-2018	आवेदक की ओर से श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अनावेदक सूचित हो । अध्यक्ष	